"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2006—भाद्र 10, शक 1928

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-254/दो-गृह/रापुसे/2006.—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ**—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2006 होगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) ये "राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषायें**— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ; —

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक में "विनिर्दिष्ट प्राधिकारी";

(ख) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, नियम-6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये राज्य शासन द्वारा गठित चयन समिति ;

(ग) "विभागीय पदोन्नति समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार के उपबंध के अनुसार नियम-15 के अधीन गठित समिति ;

(घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम-11 के अधीन भर्ती के लिये ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा ;

(ङ) "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है, शारीरिक मापतौल तथा प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात् मुख्य लिखित परीक्षा ;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या किसी जाति, मूलवंश या जाति के भीतर कोई समूह ;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कोई जनजाति या जनजाति समुदाय या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय का कोई भाग जनजाति या जनजाति समुदाय के भीतर कोई समूह ;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसम्बर 1984 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;

(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ;

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा ;

(ठ) "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है, शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार.

3. **विस्तार तथा लागू होना**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने पर अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों ;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों ; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि**— सेवा का वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होंगे :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर या तो स्थाई आधार पर या अस्थाई आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती की पद्धति**—

(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित पद्धति द्वारा की जायेगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगी परीक्षा में चयन द्वारा ;

(ख) अनुसूची-चार के कालम दो में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के ऐसे शासकीय सदस्यों की पदोन्नति द्वारा ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट हों मूल हैसियत में धारण करते हों.

(2) उप नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों का संख्या, किसी भी समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो वर्णित प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सेवा में किसी ऐसी रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके, तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जावेगी.

(4) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो वह सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती संबंधी उन पद्धतियों से भिन्न जो उक्त उप नियम में विनिर्दिष्ट है, ऐसी अन्य पद्धति अपना सकेगा, जो वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करें.

(5) भर्ती के लिये इच्छुक अभ्यर्थियों को, चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये प्रतियोगी परीक्षा हेतु सरकार द्वारा विहित किये गये प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करके संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करना चाहिये.

(6) (एक) अभ्यर्थी को भर्ती हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप में विशिष्ट रूप से यह उल्लेख करना होगा कि वह किस पद हेतु इच्छुक है, केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नाम पर जिन्होंने विशिष्ट रूप से उप निरीक्षक (रेडियो), (अंगुलचिन्ह), (प्रश्नाधीन दस्तावेज), (कम्प्यूटर) के पदों पर भर्ती के लिये अपनी सहमति अभिव्यक्त की है तथा जो अनुसूची-तीन में वर्णित अर्हताएं रखते हों पर विचार किया जावेगा.

(दो) महिला अभ्यर्थी केवल सूबेदार, उप निरीक्षक, उप निरीक्षक (विशेष शाखा), उप निरीक्षक (रेडियो)/(अंगुली चिन्ह)/(प्रश्नाधीन दस्तावेज)/(कम्प्यूटर) पदों के लिये भर्ती की पात्र होंगी. महिलाओं को प्लाटून कमांडर के लिये भर्ती की पात्रता नहीं होगी.

(7) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के प्रारूप में गलत जानकारी देने या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाने पर उसे (अभ्यर्थी को) अनर्ह समझा जावेगा. ऐसा कृत्य करने पर अभ्यर्थी को सरकार के अधीन नियुक्ति (नियोजन) में या सेवा में निरन्तर बने रहने का अधिकार नहीं होगा तथा उसकी सेवा तत्काल, बिना कोई सूचना दिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जावेगी.

(8) उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, अर्थात् :-

(एक) **शारीरिक माप का मान**— अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण नियम 8 के उपनियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं के अनुसार संपादित किया जाएगा.

टिप्पणी - शारीरिक माप के संबंध में किसी विवाद की दशा में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.

(दो) **लिखित परीक्षा**—

(1) (क) आवेदकों को आवेदन फार्म शासन द्वारा निर्धारित राशि द्वारा विक्रय किया जाएगा. यदि परीक्षा कार्य का संचालन किसी अन्य संस्था/विभाग के द्वारा किया जाता है तो उस संस्था/विभाग द्वारा सभी जाति संवर्ग के उम्मीदवारों से शासन द्वारा निर्धारित दर पर आवेदन फार्म विक्रय किया जा सकेगा.

(ख) आवेदन फार्म जमा करते समय ही दस्तावेजों की जांच पूर्ण कर ली जावेगी तथा दस्तावेज सही पाये जाने पर आवेदक का शारीरिक नापजोख कंडिका 8 (3) के (क) से (घ) के अनुसार (आंखों की दृष्टि एवं आंखो से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर) तत्काल ही किया जावेगा तथा

अग्रिम प्रक्रियों में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र केवल नापजोख में सफल पाये गये उम्मीदवारों को ही दिया जावेगा.

(2) उपरोक्त में योग्य पाये जाने पर उनका कम्प्यूटराइज्ड आब्जेक्टिव टाईप की प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, जो 300 अंकों की होगी तथा समय दो घंटे का होगा. इस परीक्षा में मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न रहेंगे. इस परीक्षा परिणाम के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जावेगी, जिसमें से केवल रिक्त पदों के 15 गुना उम्मीदवारों को ही मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा. अन्तिम अभ्यर्थी जिस पर 15 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किये हैं, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या 15 गुना से अधिक हो जाती हो.

(3) **मुख्य लिखित परीक्षा :-**

(क) **हिन्दी तथा अंग्रेजी में दक्षता**— यह परीक्षा 300 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी. यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी. हिंदी के 200 अंक तथा अंग्रेजी के 100 अंक होंगे.

(ख) **सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन**— यह परीक्षा 300 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि तीन घंटे की होगी. यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी.

(ग) **विज्ञान (गणित, भौतिकी और रसायन) परीक्षा**— यह परीक्षा 300 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी. यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी, जो अनुसूची-तीन में यथा विनिर्दिष्ट उप निरीक्षक (रेडियो), (अंगुलचिन्ह), (प्रश्नाधीन दस्तावेज) के पदों पर भर्ती के लिये आवेदन किया गया हो.

(घ) **कम्प्यूटर विज्ञान की परीक्षा**— यह परीक्षा 300 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी. यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी, जो अनुसूची-तीन में यथा विनिर्दिष्ट उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) के पद पर भर्ती के लिये आवेदन किया हो.

(तीन) **पृथक चयन सूचियां** — प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों को जोड़कर पृथक से सूबेदार, उप निरीक्षक, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर की एक, उप निरीक्षक रेडियो, अंगुलचिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज की एक तथा उप निरी. (कम्प्यूटर) की एक कुल तीन पृथक-पृथक मेरिट लिस्ट तैयार की जावेगी. इन मेरिट लिस्टों में से विज्ञापित रिक्त पदों के पांच गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिये बुलाया जावेगा. अंतिम अभ्यर्थी जिस पर पांच गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किये हैं, को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या पांच गुना से अधिक हो जाती हो.

(चार) **शारीरिक दक्षता परीक्षा**— शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान शारीरिक नापजोख कंडिका 8 (3) के बिन्दु (क) से (घ) अनुसार दोबारा किया जावेगा. इस विषय में कोई प्रश्न उत्पन्न होने की स्थिति में जिला चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा. आंखों की दृष्टि एवं आंखों से संबंधित अन्य जांच चयन समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार किया जावेगा.

शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य है, जो कुल 300 अंकों का होगा और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धायें सम्मिलित होंगी :-

(क)	लम्बी कूद	60 अंक
(ख)	ऊंची कूद	60 अंक
(ग)	गोला फेंक	60 अंक
(घ)	100 मीटर दौड़	60 अंक
(ङ)	1500 मीटर दौड़	60 अंक

प्रत्येक परिणाम के लिये दिये जाने वाले अंको का विस्तृत विवरण अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट किये गये हैं. परन्तु उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) के पद हेतु उपरोक्त स्पर्धाएं केवल क्वालीफाईंग होंगी एवं इनके लिए कोई अंक नहीं दिये जावेंगे.

केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 30 प्रतिशत अंक अर्जित किये हों, अर्थात् इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जावेगा और उनका साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा.

(पांच) **साक्षात्कार**— साक्षात्कार 100 अंकों का होगा.

(छ:) **बोनस अंक**— अभ्यर्थियों को नीचे उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 10 अंक निर्धारित है, किन्तु विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 20 से अधिक नहीं होंगे. अर्थात् दो से अधिक विशेष योग्यता होने पर भी बोनस अंक 20 ही होंगे. यह बोनस अंक साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों के अतिरिक्त होंगे.

(क)	एन. सी. सी. "सी" प्रमाण-पत्र	-	सभी पदों के लिये
(ख)	एल. एल. बी. उपाधि, फोरेंसिक विज्ञान/अप. विज्ञान में पत्रोपाधि/उपाधि.	-	उप निरी. के पदों के लिये
(ग)	फोरेंसिक विज्ञान उपाधि/पत्रोपाधि	-	उप निरी. (अंगुलीचिन्ह/प्रश्नाधीन दस्तावेज)
(घ)	शारीरिक शिक्षा पत्रोपाधि/उपाधि	-	सूबेदार तथा प्लाटून कमांडर पद हेतु
(ङ)	इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रिकल्स/दूरसंचार में इंजीनियरिंग उपाधि.	-	उप निरीक्षक (रेडियो) हेतु
(च)	(1) कम्प्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग उपाधि शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम. सी. ए. या समतुल्य उपाधि.	-	उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) हेतु
	(2) शासकीय मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से एल. एल. बी. की उपाधि.		

7. **सेवा में नियुक्ति**— इन नियमों के प्रयुक्त होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जावेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम-6 में विनिर्दिष्ट भर्ती की पद्धतियों में से किसी एक पद्धति द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जावेगी अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्तें**— सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों की पात्रता के लिये निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी-अर्थात्-

(1) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है.

(2) आयु-

(क) परीक्षा प्रारंभ होने के तारीख के बाद की आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची-तीन के कालम-4 में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, और उक्त अनुसूची के कालम-5 में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो आयु की अधिकतम सीमा अधिक से अधिक पांच वर्ष तक शिथिल की जावेगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों की भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों, अथवा रह चुके हों, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, अधिकतम आयुसीमा उस सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए शिथिल की जा सकेगी :-

(एक) कोई अभ्यर्थी जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये ;

(दो) कोई अभ्यर्थी जो अस्थाई पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा है, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्य-भारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी ;

(तीन) कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार में की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुज्ञा दी जावेगी बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह अधिकतम आयुसीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी.

स्पष्टीकरण :- शब्द "छटनी" किये गये सरकारी कर्मचारी से द्योतक है- ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किन्हीं भी संगठन इकाई की अस्थाई सरकारी सेवा में निरंतर कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन देने के तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो.

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो

स्पष्टीकरण :- पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप, या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई है या जो अधिशिष्ट घोषित किया गया हो :-

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मास्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया है.

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भरती किये गये हों, और जिन्हें-

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,

(ख) भर्ती संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी.

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित है) जो उनकी संविदा के पूर्ण होने पर सेवान्मुक्त किए गए हो.

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो.

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं.

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(ङ) विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिये सामान्य अधिकतम आयुसीमा 35 वर्ष तक शिथिल की जावेगी.

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्डधारक अभ्यर्थियों के लिये भी अधिकतम आयुसीमा 2 वर्ष तक शिथिल की जावेगी.

(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण साथी के संबंध में सामान्य अधिकतम आयुसीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जावेगी.

(ज) "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त खिलाड़ी अभ्यर्थियों के संबंध में भी अधिकतम आयुसीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जावेगी.

(झ) इन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हो, अधिकतम आयुसीमा को 36 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा.

(ञ) स्वयसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयुसीमा उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि तक 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जावेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये.

टिप्पणी- (1) उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) तथा (2) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को चयन के लिये सम्मिलित किया गया है, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग पत्र दे दें तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् इनकी सेवा या पद से छटनी की जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे.

टिप्पणी- (2) किसी भी अन्य मामले में आयुसीमा शिथिल नहीं की जावेगी. विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपसंजात होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी.

(3) **शारीरिक अर्हता**— अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य ही होनी चाहिये :-

(क) **ऊंचाई** - 168 सेंमी या उससे अधिक (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये)
153 सेंमी या उससे अधिक (केवल महिलाओं के लिये)

(ख) **सीना** - बिना फुलाये 81 सेंमी तथा फुलाने पर 86 सेंमी.
(अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंमी का अंतर होना आवश्यक है, इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी) (महिला उम्मीदवार इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी)

(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिये.

(घ) अभ्यर्थी में नाकनी, फ्लेट फुट नहीं होना चाहिए. नॉकनी एवं फ्लेट फुट संबंधी अर्हतायें समस्त पदों के लिए अनिवार्य होगी. साथ ही सभी उम्मीदवारों को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये. अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिये. आंखों की दृष्टि बिना चश्में के एक आंख की 6/6 तथा दूसरी आंख की बिना चश्में के 6/9 से कम नहीं होना चाहिये. मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिये

(4) **शैक्षणिक अर्हताएं**— अभ्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में दर्शाये गये सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिये, परन्तु :-

(क) अपवादिक मामलों में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी, जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में निहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के विचारण के लिये पात्र बनाती हो, और

(ख) समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा/चयन में सम्मिलित कर सकेगी, जो अन्यथा अर्ह हो किन्तु जिन्होने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हो, जो शासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त न हो.

9. **निरर्हता**— अभ्यर्थी की ओर से अपने चयन के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी ज़रिये से किया गया कोई भी प्रयास चयन समिति द्वारा परीक्षा/चयन में सम्मिलित करने के लिये उसे अयोग्य बनाने वाला माना जावेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा**— परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के संबंध में किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को जिसे समिति द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी.

11. **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती**—

(1) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों में होगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करें

(2) चयन द्वारा

(एक) अनुसूची-दो में दर्शाई गई सेवा में सम्मिलित पदों की भर्ती के लिये अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अंतरालों से किया जावेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करें.

(दो) सेवा में सम्मिलित पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लेकर किया जावेगा.

(3) सीधी भर्ती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से उन अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जावेंगे, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम-1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधानों और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जावेगा, जिस क्रम से उनके नाम नियम-12 में विनिर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की सूची में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये उपनियम (3) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) कुल रिक्त पदों की संख्या के 5 प्रतिशत पद विभागीय अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे. यह समस्तर आरक्षण है और योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर कैरी फारवर्ड नहीं होंगे.

(7) शासन निर्देशानुसार महिलाओं के लिये 30% समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण रहेगा परन्तु विभाग [illegible] परिषद् के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति हेतु प्रतिशत को 10% तक कम कर सकेगा.

12. **समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची —**

(1) समिति. अपने द्वारा निश्चित किये गये स्तर के अनुसार योग्य उम्मीदवारों की योग्यता क्रम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उन अभ्यर्थियों की सूची जो उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं हैं किन्तु फिर भी प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हों, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूची को प्रकाशित भी किया जावेगा.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये सूची में से उसी क्रम में विचार किया जावेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं वास्तविक रिक्त पदों के अतिरिक्त आरक्षण नियमों का पूर्णत: पालन करते हुए 25 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जावेगी.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जावे कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति —**

(1) सीधी भर्ती के लिये अंतिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा साक्षात्कार तथा बोनस अंक में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जावेगी. नियुक्तियां पदों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए गुणागुण सूची से की जाएगी, परन्तु यह कि, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जावेगा, जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 30 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों. उप निरीक्षक-कम्प्यूटर के लिये नियम-6 (8) (चार) के अनुसार मेरिट लिस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा अन्य समस्त परीक्षाओं (मुख्य लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं बोनस अंक सहित) में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जावेगी.

(2) एक समान कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता उनकी जन्म तिथि के आधार पर निश्चित की जावेगी. अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जावेगा.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन सूची जारी किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य होगी.

14. **परिवीक्षा अवधि तथा प्रशिक्षण —**

(1) प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के संबंध में उसका चरित्र सत्यापन किया जाएगा. चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अनुकूल पाए जाने पर सफल अभ्यर्थी जिनका नाम चयन सूची (मेरिट लिस्ट) में आया है, को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाएगा.

यदि कोई अभ्यर्थी जिसे परिवीक्षा पर नियुक्ति प्रस्ताव भेजा गया हो, दिए गए दिनांक तथा निर्दिष्ट स्थान पर प्रशिक्षण के लिये उपस्थित नहीं होता है, तो पुलिस महानिदेशक के आदेश द्वारा ऐसे अभ्यर्थी का नाम चयन-सूची से हटाया जा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकारी यह आदेश जारी कर सकेगा कि वह उस अभ्यर्थी के नियुक्ति प्रस्ताव जारी करें, जिसका नाम गुणागुण-सूची में ठीक नीचे दिया गया है तथा जिसे ऐसे प्रस्ताव के लिये अन्यथा उपयुक्त पाया गया है.

(2) प्रशिक्षण में प्रवेश लेने पर प्रत्येक अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा निर्धारित वर्दी की अनुमानित लागत और सुरक्षा निधि (काशन-मनी) जमा करना होगा. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल सुरक्षा निधि (काशन-मनी) जमा करना होगा.

(3) निर्धारित प्रशिक्षण, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य इकाईयों में नियुक्ति के पश्चात् दिया जावेगा. निर्धारित लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षा में असफल रहने तथा समय-समय पर निर्धारित मानदण्डों द्वारा प्रशिक्षण उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की स्थिति में परिवीक्षा कालावधि बढ़ाई जा सकेगी या उसे सेवा से मुक्त भी किया जा सकेगा.

15. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति बाबत्—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों का पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जावेगी, जिसमें अनुसूची-चार में वर्णित सदस्य होंगे. तथापि, यदि पदोन्नति समिति में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को छोड़कर नाम निर्देशित किये गये अन्य सदस्यों में यदि कोई सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो समतुल्य रेंक के एक और अधिकारी को विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जावेगा और विभागीय पदोन्नति समिति की सदस्य संख्या अपेक्षित सीमा तक बढ़ाई गई समझी जावेगी.

(2) समिति की बैठक सामान्यत: कम से कम एक वर्ष में एक बार होगी.

(3) ऐसे पदों में, जिसमें अनुसूची-दो में यथा विनिर्दिष्ट पदोन्नति की प्रतिशतता 25% या उससे अधिक हो, पदोन्नति के लिये उपलब्ध रिक्त स्थानों के 16% तथा 23% रिक्त स्थान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जावेंगे, जो नियम-16 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के लिये पात्र हैं.

(4) आरक्षित रिक्तियों में, पदोन्नतियां करने के लिये प्रक्रिया सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार होगी.

16. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें—**

(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को, उन पदों पर, जिनसे कि पदोन्नति की जानी है, उतनें वर्षों की सेवा चाहे (स्थानापन्न या मूल रूप से) पूर्ण कर ली हो, जितनी कि अनुसची-चार के कालम-4 में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम-2 के उपबंधों के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आते हों.

(2) उन मामलों में जहां पदोन्नति उपयुक्तता के अध्यधीन रहते हुए "ज्येष्ठता सह योग्यता" के आधार पर अथवा जिनमें अनुपयुक्त व्यक्तियों को छोड़ कर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जानी हो वहां कोई भी विचारण क्षेत्र नहीं होगा, प्रत्येक संवर्ग के केवल उतनी ही संख्या में शासकीय कर्मचारियों के प्रकरणों पर विचार किया जावेगा जो आगामी एक वर्ष में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त हो.

17. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना—**

(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो ऊपर उल्लेखित नियम-16 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति ने सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त ठहराया हो. यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी. पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25% व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची भी तैयार की जावेगी.

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिये चयन, वरिष्ठता के आधार पर होगा जिसमें गुणागुण तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर सम्यक् ध्यान रखा जावेगा.

(3) ऐसी चयन सूची तैयार करते समय, सूची में सम्मिलित किये गये कर्मचारियों के नाम, उनकी सेवा अथवा पद जैसा कि अनुसूची-चार के कालम-दो में वर्णित है, उसके वरिष्ठता क्रमानुसार व्यवस्थित किये जावेंगे.

स्पष्टीकरण- ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता अवधि के दौरान पदोन्नत न किया जा सका हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण की जावेगी.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित किया जावे तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये इसका कारण अभिलिखित करेगी.

18. **चयन सूची**—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ, समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और, जब तक वह कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह (नियुक्ति प्राधिकारी) प्रस्तावित परिवर्तनों को समिति को सूचित करेगा तथा समिति की टिप्पणियों (समीक्षा यदि कोई हो), पर विचार करने के पश्चात् सूची को अंतिम रूप से ऐसे उपांतरणों यदि कोई हो के साथ अनुमोदित करेगा, जो उसकी राय में न्यायपूर्ण तथा उचित हो.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची उक्त अनुसूची के कालम (3) में वर्णित पदों पर अनुसूची-चार के कालम (2) में वर्णित पदों में सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यत: एक वर्ष के लिये या तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि नियम-17 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जावेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्त्तव्य के पालन में गंभीर चूक होने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और विभागीय पदोन्नति समिति, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति**—

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जावेगी जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आये हों :

परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि सरकार को यह समाधान हो जावे कि रिक्त स्थान तीन मास से अधिक के लिये संभाव्य नहीं है.

(2) साधारणत: उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में कोई गिरावट आ गई है, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी है, जो उसे सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त बनाती हो.

20. **निर्वचन**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जावेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

21. **शिथिलीकरण**— इस नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जावेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसको ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से जो उसे उचित तथा साम्यपूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु मामले में ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जावेगी जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति**— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारम्भ होने के ठीक पहले लागू सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जावेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. एस. रे, अपर मुख्य सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम-5 देखिये)

सेवा में वर्गीकरण वेतनमान, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों का वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	निरीक्षक/रक्षित निरीक्षक	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	5500-175-9000	पुलिस महानिरीक्षक
2.	कंपनी कमांडर	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	5500-175-9000	पुलिस महानिरीक्षक
3.	सूबेदार	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	5000-150-8000	पुलिस महानिरीक्षक
4.	उप निरीक्षक (पुरुष एवं महिला)	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	4500-125-7000	उप-पुलिस महानिरीक्षक
5.	उप निरीक्षक (रेडियो)	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	4500-125-7000	उप-पुलिस महानिरीक्षक
6.	उप निरीक्षक (अंगुलि चिन्ह)	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	4500-125-7000	उप-पुलिस महानिरीक्षक
7.	उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	4500-125-7000	उप-पुलिस महानिरीक्षक
8.	प्लाटून कमांडर	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	4500-125-7000	उप-पुलिस महानिरीक्षक
9.	सहायक उप निरीक्षक	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	4000-100-6000	उप-पुलिस महानिरीक्षक
10.	उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	4500-125-7000	उप-पुलिस महानिरीक्षक

अनुसूची-दो
(नियम-6 देखिये)

अनु क्र.	विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्त्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत सीधी भर्ती	सेवा में कार्यरत सदस्यों की पदोन्नति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गृह (पुलिस) विभाग	निरीक्षक/रक्षित निरीक्षक	-	-	100 प्रतिशत
2.	---,,---	कंपनी कमांडर	-	-	100 प्रतिशत
3.	---,,---	सूबेदार	-	100 प्रतिशत	-
4.	---,,---	उप निरीक्षक (पुरुष एवं महिला)	-	67 प्रतिशत	33 प्रतिशत
5.	---,,---	उप निरीक्षक (रेडियो)	-	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
6.	---,,---	उप निरीक्षक (अं. चिन्ह)	-	67 प्रतिशत	33 प्रतिशत
7.	---,,---	उप निरीक्षक (क्यूडी)	-	67 प्रतिशत	33 प्रतिशत
8.	---,,---	प्लाटून कमांडर	-	40 प्रतिशत	60 प्रतिशत
9.	---,,---	सहायक उप निरीक्षक	-	-	100 प्रतिशत

अनुसूची-तीन
(नियम-8 देखिये)

अनु क्र.	सेवा का नाम	अनु क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयुसीमा	अधिकतम आयुसीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा	1	सूबेदार	18	28	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समकक्ष.	
2.	---,,---	2	उप निरीक्षक (पुरुष एवं महिला).	18	28	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समकक्ष.	
3.	---,,---	3	उप निरीक्षक (विशेष शाखा)	18	28	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समकक्ष.	
4.	---,,---	4	उप निरीक्षक (रेडियो)	18	28	शासन द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा.	
5.	---,,---	5	उप निरीक्षक (अंगुलचिन्ह)	18	28	शासन द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक या उसके समतुल्य उपाधि.	
6.	---,,---	6	उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	18	28	---,,---	
7.	---,,---	7	प्लाटून कमांडर	18	28	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समकक्ष.	
8.	---,,---	8	उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	18	28	शासकीय या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीसीए/बीएससी (कम्प्यूटर) या समतुल्य उपाधि.	

अनुसूची-चार

(नियम-15 देखिये)

अनु क्र.	विभाग का नाम	उस पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जाना है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति हेतु न्यूनतम निर्धारित सेवाकाल	विभागीय पदोन्नति समिति का गठन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गृह (पुलिस) विभाग	उप निरीक्षक (पुरुष एवं महिला)	निरीक्षक	8 वर्ष सीधी भर्ती 6 वर्ष सीधी भर्ती - वे जिन्होने नक्सलवादी क्षेत्रों में 6 वर्ष लगातार सेवा कर लिया हो. 5 वर्ष विभागीय पदोन्नति 4 वर्ष विभागीय पदोन्नति - वे जिन्होने नक्सलवादी क्षेत्रों में 4 वर्ष लगातार सेवा कर लिया हो.	(पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित) एक पु. म. नि. अध्यक्ष तथा दो उ. म. नि. स्तर के अधिकारी सदस्य.
2.	---,,---	सूबेदार	रक्षित निरीक्षक	तीन वर्ष	(पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित) एक पु. म. नि. अध्यक्ष तथा दो उ. म. नि. स्तर के अधिकारी सदस्य.
3.	---,,---	प्लाटून कमांडर	कंपनी कमांडर	तीन वर्ष	(पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित) एक पु. म. नि. अध्यक्ष तथा दो उ. म. नि. स्तर के अधिकारी सदस्य.
4.	---,,---	सहायक उप निरीक्षक	उप निरीक्षक	तीन वर्ष	(पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित) तीन उ. म. नि. स्तर के अधिकारी - वरिष्ठ अधिकारी अध्यक्ष होंगे.
5.	---,,---	सहायक प्लाटून कमांडर.	प्लाटून कमांडर	तीन वर्ष	(पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित) तीन उ. म. नि. स्तर के अधिकारी - वरिष्ठ अधिकारी अध्यक्ष होंगे.

अनुसूची-पांच

अनु क्र. (1)	मद (आयटम) पुरुष अभ्यर्थी (2)	अंक (3)	मद (आयटम) महिला अभ्यर्थी (4)	अंक (5)
1.	**लम्बी कूद (तीन प्रयास)**	**60**	**लम्बी कूद (तीन प्रयास)**	**60**
	12 फिट (3.66 मीटर) तक	00	08 फिट (2.44 मीटर) तक	00
	14 फिट (4.27 मीटर)	12	10 फिट (3.05 मीटर)	12
	16 फिट (4.88 मीटर)	24	12 फिट (3.66 मीटर)	24
	17 फिट (5.18 मीटर)	36	13 फिट (3.96 मीटर)	36
	18 फिट (5.49 मीटर)	48	14 फिट (4.27 मीटर)	48
	19 फिट (5.79 मीटर) या अधिक	60	15 फिट (4.57 मीटर) या अधिक	60
2.	**ऊंची कूद (तीन प्रयास)**	**60**	**ऊंची कूद (तीन प्रयास)**	**60**
	04 फिट (1.22 मीटर) तक	00	03 फिट (0.91 मीटर) तक	00
	04 फिट 02 इंच (1.27 मीटर)	12	03 फिट 02 इंच (0.97 मीटर)	12
	04 फिट 04 इंच (1.32 मीटर)	24	03 फिट 04 इंच (1.02 मीटर)	24
	04 फिट 06 इंच (1.37 मीटर)	36	03 फिट 06 इंच (1.07 मीटर)	36
	04 फिट 08 इंच (1.42 मीटर)	48	03 फिट 08 इंच (1.12 मीटर)	48
	04 फिट 10 इंच (1.47 मीटर) या अधिक	60	03 फिट 10 इंच (1.17 मीटर) या अधिक	60
3.	**गोला फेंक (तीन प्रयास)**	**60**	**गोल फेंक (तीन प्रयास)**	**60**
	वजन 16 पाउन्ड		**वजन 08 पाउन्ड**	
	04 मीटर तक	00	04 मीटर तक	00
	05 मीटर	12	05 मीटर	12
	06 मीटर	24	06 मीटर	24
	07 मीटर	36	07 मीटर	36
	08 मीटर	48	08 मीटर	48
	09 मीटर या अधिक	60	09 मीटर या अधिक	60
4.	**100 मीटर दौड़**	**60**	**100 मीटर दौड़**	**60**
	12.5 सेकेण्ड या कम	60	14.5 सेकेण्ड या कम	60
	13.5 सेकेण्ड	48	15.5 सेकेण्ड	48
	14.5 सेकेण्ड	36	16.5 सेकेण्ड	36
	15.5 सेकेण्ड	24	17.5 सेकेण्ड	24
	16.5 सेकेण्ड	12	18.5 सेकेण्ड	12
	20 सेकेण्ड या अधिक	00	22 सेकेण्ड या अधिक	00
5.	**दौड़ 1500 मीटर**	**60**	**दौड़ 1500 मीटर**	**60**
	5 मिनिट	60	6 मिनिट	60
	5 मिनिट 10 सेकेण्ड	48	6 मिनिट 10 सेकेण्ड	48
	5 मिनिट 20 सेकेण्ड	36	6 मिनिट 20 सेकेण्ड	36
	5 मिनिट 30 सेकेण्ड	24	6 मिनिट 30 सेकेण्ड	24
	5 मिनिट 40 सेकेण्ड	12	6 मिनिट 40 सेकेण्ड	12
	5 मिनिट 50 सेकेण्ड या इससे अधिक	00	6 मिनिट 50 सेकेण्ड या इससे अधिक	00

Raipur, the 1st September 2006

NOTIFICATION

F 2-254/Two (Home)/S.P.S./2006.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh Police Executive (Non-Gazetted) Service, namely :—

1. **Short Title, Extent and Commencement—**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Police Executive (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules. 2006.

(2) It extents the whole state of Chhattisgarh.

(3) It shall come in to force with effect from the date of its publication on the "Official Gazette".

2. **Definitions—**In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the authority specified in Schedule-I;

(b) "Committee" means the Selection Committee constituted by the State Government for the purpose of direct recruitment under clause (a) of sub rule (1) of rule 6;

(c) "Departmental Promotion Committee" means the committee constituted under rule-15, as per the proviso of Schedule-4;

(d) "Examination" means a competitive examination for recruitment conducted under rule 11 of these rules;

(e) "First Stage" means physical measurement and preliminary examination followed by main written examination;

(f) "Schedule" means a schedule appended to these rules ;

(g) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as scheduled castes with respect to the State of Chhattisgarh under Article 341 of the Constitution of India;

(h) "Scheduled Tribes" means any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Chhattisgarh under Article 342 of the Constitution of India;

(i) "Other Backward Classes" means the other backward class of citizen as specified by the State Government vide Notification No. F-85-XXV-4-84 dated the 26th December, 1984 as amended time to time;

(j) "State" means the State of Chhattisgarh;

(k) "Service" means Chhattisgarh Police Executive (Non Gazetted) Service;

(i) "Second Stage" means physical proficiency test and interview.

3. **Scope and Application —**Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rule 1961; these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service —**The service shall consist of the following persons i.e.:—

(1) Persons who at the commencement of these rules, are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in the Schedule ;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification and Scale of Pay** —The classification of the service and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in Schedule-I.

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment —**

(1) Recruitment to the service after the commencement of these rules shall be made by the following methods namely :—

(a) By direct recruitment, by selection, through competitive examination;

(b) By promotion of such member of service, as are specified in Column 2 of Schedule-IV;

(c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under Clause (b) of Clause (c) of Sub Rule (I) shall not, at any time, exceed the percentage mentioned in Schedule-II, of the number of posts, specified in the Schedule-I.

(3) Subject to the provisons of these rules, the method or methods for the purpose of filling any vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointing authority.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority the exigency of the service so require, he may, with the prior concurrence of the General Administration Department, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf prescribe.

(5) Candidates desiring for recruitment should apply by submitting an application in the form prescribed by the Government to the District Superintendent of Police concerned for competitive examination to be admitted in the selection procedure.

(6) (i) The candidate must specifically mention, in the application form for recruitment, the name of posts for which the candidate disires to be recruited. Post (posts) be mentioned in the order of priority for which the candidate desires to be considered for appointment. The name of only such candidates who have specifically expressed their consent for recruitment to posts to the technical Sub Inspector (Radio)/(Finger Print)/(Questioned Documents)/(Computer) and who possess qualification mentioned in Schedule-III shall be considered.

(ii) Female candidates shall be eligible for recruitment only for the posts of Subedar, Sub-Inspector, Sub-Inspector (Special Branch), Sub-Inspector (Radio)/(Finger Print)/(Questioned Documents)/(Computer). Female candidates shall not be eligible for recruitment for the post of Platoon Commander.

(7) Giving wrong information or hiding of any factual information in the application form by the applicant shall be deemed to be a disqualification. On such act the candidate shall have no right of appointment or continue in service under the Government and his service shall be terminated forthwith by the appointing authority without giving any notice.

(8) The procedure of Selection by competitive examination under clause (a) of Sub-Rule (1) shall be as follows i.e. :-

(i) **Measurement of Physical Standard**—The physical test of the candidate shall be conducted according to the minimum qualifications as specified in sub-rule (3) of rule 8.

Note - In case of any dispute with regard to physical measurement, the decision of the Chief Medical Officer of the District shall be final.

(ii) **Written Examination—**

(1) (a) The Application Form shall be provided at the Government rate to all candidates.

If the examination is conducted by any other Institution/Department the application forms shall be sold to candidates of all categories by that Institution/Department at the price approved by the Government.

(b) Checking of the documents shall be completed at the time of submission of the Application Forms and if found correct, the physical measurement of the concerning candidates shall be conducted thereafter as per Rule 8 (3) (A) to (D) [excluding vision test and other tests related to eyes] and the letter of permission to appear in next stage of selection process shall be given to the candidates who are found fit in physical measurement.

(2) A computerized objective type preliminary written examination of 300 marks and duration 2 hours, will be, conducted, for the candidates, found fit as above. This examination will consist of Questions, mainly relating to general knowledge. On the basis of this preliminary written test, a merit list will be prepared out of which only 15 times candidates against the number of vacant post advertised, shall be issued the admission letters to appear in the main written examination. Last candidate, on whom 15 times number is completed, and all those candidates who obtained marks more than or equal to this candidate, shall be permitted for the main examination irrespective of the number exceeding the stipulated fifteen times number.

(3) **Main Written Examination —**

(a) **Proficiency in Hindi and English Language-** This examination shall be of 300 marks and duration will be two hours. This examination shall be compulsory for all candidates. Hindi shall be of 200 marks and English of 100 marks.

(b) **General Knowledge and General Studies-** This examination shall be of 300 marks and its duration will be three hours. This examination shall be compulsory for all candidates.

(c) **Science (Physics, Mathematics and Chemistry) Examination-** This examination shall be of 300 marks and duration will be 2 hours. This examination shall be compulsory only for such candidates who have applied for recruitment for the posts of Sub-Inspector (Radio) / (Finger Print) / (Questioned Documents) as specified in Schedule-III.

(d) **Computer Science Examination-** This examination shall be of 300 marks and its duration will be 2 hours. This examination shall be compulsory for only such candidates who have applied for recruitment to the post of Sub-Inspector (Computer) as specified in Schedule-III..

(iii) **Separate Specification List**— By adding the marks obtained in the main written examination of the first stage, three separate merit lists one for Subedar, Sub Inspector/Sub Inspector (Special branch) and Platoon Commander, one for Sub-Inspector (Radio)/(Fingerprint)/(Questioned document) and one for Sub Inspector (Computer) shall be prepared in which the candidates numbering five times the number of vacant posts advertised shall be called for examination of second stage. Last candidate, on whom five times number is completed and all those candidates who obtained marks more than or equal to this candidate shall be admitted to the second stage of examination irrespective of the number exceeeding the stipulated five times number.

(iv) **Physical Proficiency Test**— Physical measurement shall again be conducted during physical proficiency Test, as per clause (A) to (D) of rule 8 (3). If any question arises in this regard, the decision of the District Medical Board shall be final. Vision test of eyes and other tests relating to eyes shall be conducted as per the programme laid down by the Selection Committee.

Physical Proficiency Test is compulsory for all candidates. This test shall be of 300 marks and shall include following events :—

(a)	Long Jump	60	marks
(b)	High Jump	60	marks
(c)	Shot put	60	marks
(d)	100 Meter Race	60	marks
(e)	1500 Meter Race	60	marks

Details of statement of marks to be awarded in each event are specified in Schedule-V. But for the post of Sub-Inspector (Computer) events mentioned above shall only be qualifying in nature and no marks will be awarded.

Only those candidates shall be interviewed who have obtained minimum 30% marks in physical proficiency test, i. e. those candidates who obtain less than 30% marks in physical proficiency test shall be declared disqualified at this stage and their interview shall not be conducted.

(v) **Interview**— Personal Interview shall be of 100 marks.

(vi) **Bonus Marks**—Candidates possessing special qualifications enumerated below are entitled to bonus of 10 marks for each qualification. However, the total number of bonus marks shall not exceed 20 marks i. e. candidates possessing more than two special qualifications will be entitled to a bonus of 20 marks only. These bonus marks will be in addition to the marks prescribed for interview.

(a)	NCC-"C" Certificate	For All Posts
(b)	LLB Degree, Degree/Diploma in Forensic Science/ Criminology.	For the post of Sub-Inspector
(c)	Degree/Diploma in Forensic Science	Sub Inspector (Finger Print/Q.D.)
(d)	Degree/Diploma in Physical Education	For the post of Subedar/Platoon Commander.
(e)	Engineering Degree in Electronics/Electrical/ Telecommunication.	For Sub Inspector (Radio)
(f)	(1) Degree in Computer Engineering/ M. C. A. or equivalent Degree from any Govt. recognized University. (2) LLB Degree from any recognized Govt. University.	For Sub Inspector (Computer)

7. **Appointment to the Service**—All appointments to the service after coming into force of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule-6.

8. **Conditions of Eligibility of the candidates for direct recruitment**—In order to be eligible for competing in the examination a candidate shall have to satisfy the following conditions, namely :—

(1) Candidate must be a local resident of Chhattisgarh State.

(2) **Age**—

(a) He must have attained the age as specified in Column (4) of Schedule-III and not attained the age specified in Column (5) of the said Schedule, on the First day of January next following the date of commencement of the examination ;

(b) The upper age limit shall be relaxed up to maximum of 5 years; if a candidate belongs to Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Class;

(c) The upper age limit will also be relaxable, in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government, to the extent and subject to the conditions specified below. provided they are not otherwise disqualified from joining Government service ;

(i) A candidate who is a permanent Government servant should not be more than 36 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 36 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employee, work-charged employees and employees working in the Project Implementation Committee.

(iii) A candidate, who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of seven years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation—The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in the number of employees not more than three years prior to the date of his registration at the Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government Service.

(d) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation— The term "Ex-serviceman" denotes a person, who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:

(1) Ex-serviceman released under mustering out concession.

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on :

(a) Completion of short term engagement.

(b) Fulfiling the condition of enrolment.

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit.

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including Short Service Regular Commissioned Officers);

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-servicemen Invalidated out service.

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun shot, wounds etc.

(e) The general upper age limit shall be relaxable up to 35 years in respect of widow, destitute or divorced women candidates;

(f) The upper age limit shall also be relaxed up to two years in respect of Green Card Holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The General upper age limit shall be relaxed up to five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive programme of the Triblal, Scheduled caste and Backward classes Welfare Department;

(h) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of "Vikram Award" holder candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable, upto a maximum 36 years of age in respect of candidate who are employees of Chhattisgarh State Corporation/Board;

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-commissioned Officers of Home-Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 36 years.

Note :— (1) Candidates who are admitted to the selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

Note :— (2) In no other case these age limits be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the selection.

(3) **Physical Qualifications :—** Candidates must have the following physical qualifications :—

(a) Height : 168 cms. or more (for male candidates)
153 cms. or more (for female candidates)

(b) Chest : 81 cms. without expansion
86 cms. after expansion

(candidates must attain the difference of 5 cms between un-expanded and expanded chest. There will be no relaxation on this subject. Female candidates are exempted from this physical qualification).

(c) Candidates should not be physically handicapped.

(d) Candidates should not have "Knock-Knee", "Flat Foot.". Eligibility criterion in respect of knock knee and flat foot is compulsory for all posts. Candidates should be medically fit. Candidates should not have any vision defect. Vision of eyes without spectacle should not be less than 6/6 of one eye and 6/9 of the other eye. Candidates should be able to differentiate between main colours.

(4) **Educational Qualifications :—** A Candidate must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in Schedule-III provided that;

(a) In exceptional cases, the Committee may on recommendation of the appointing authority treat as qualified any candidate who though not possessing any qualifications prescribed in this Clause, has passed examinations conducted by other institutions by such a standard which in the opinion of the Committee justifies the consideration of the candidate as eligible for the examination/selection.

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign universities, being universities not specifically recognized by Government may also be considered for appearing in the examination/selection at the discretion of the Committee.

9. **Dis-qualifications —**Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the appointing authority to dis-qualify him for appearing in the examination/selection.

10. **Decision of Committee about candidate shall be final —** The decision of the Committee regarding eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/interview shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the committee shall be admitted to the examination/interview.

11. (1) **Direct recruitment through Competitive Examination :—** A competitive examination for recruitment to the service shall be held at such interval as the appointing authority from time to time may determine.

(2) **By Selection :—**

(i) The selection of the candidates for recruitment to the posts included in the service as shown in Schedule-II shall be held at such intervals as the appointing authority may from time to time determine.

(ii) The selection of the candidates for the posts included in the service shall be made by interviewing them by the selection committee.

(3) **For Direct Recruitment :—** Out of the available vacancies for direct recruitment, posts shall be reserved for candidates who are members of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Backward Classes in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok-Sewa (ANU-SUCHIT JATIYON, ANU-SUCHIT JAN-JATIYON, AUR ANYA PICHHARA VARGON KE LIYE ARAKSHANA) ADHINIYAM 1994 (Number-21 of the Year 1994) and other the provision of the orders and instructions issued from by the State Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes or Backward Classes declared by the appointing authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be under sub rule (3).

(6) 5 percent of the total posts shall be reserved for the departmental candidates. This is a Horizontal Reservation and shall not be carried forward in case of non availability of eligible candidate.

(7) 30 percent compartment-vise and horizontal reservation shall be made for female candidates as per Govt's instructions Provided Department may after prior permission of the Cabinet reduce the Percentage of appointment up to 10 percent.

12. List of candidates recommended by the Committee —

(1) The Committee shall forward to the appointing authority a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as fixed by it and of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard, are declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administraion. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules, and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961; candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list. A waiting List of 25% of total posts shall also be prepared apart from the real vacancies by following the Rules of Reservation.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied, after such inquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. Appointment to the service from the Select List—

(1) Final Merit List for direct recruitment shall be prepared on the basis of marks obtained in main written examination, physical proficiency test, interview and bonus marks. Appointments shall be made as per the Merit List subject to the availability of the posts. But only those candidates shall be considered for appointment, who have obtained at least 30% marks in physical proficiency test. Merit List for the post of Sub Inspector (Computer) shall be prepared for the candidates who have passed the physical efficiency test (as per rule 6 (8) Four) on the basis of marks obtained in all other examinations including main written examination, interview and bonus marks.

(2) Comparative seniority of candidates who have obtained equal total marks shall be determined on the basis of their date of birth. Candidate of higher age shall be considered senior.

(3) The Select List issued by the Appointing Authority shall remain valid for a period of one year from the date of its issue.

14. Probation Period and Training—

(1) Character verification shall be done in respect of each selected candidate. A successful candidate whose name appears in the select list (merit list) shall be appointed on probation of two years, provided that the character

verification report is favourable.

If a candidate who is proposed for appointment on probation does not appear at the place and date specified. name of such candidate can be removed from select list by the order of Director General of Police and competent authority can issue order of proposal for appointment of such candidate whose name is just below in the merit list and who is found suitable for this proposal otherwise.

(2) On admission to training, each candidate will have to deposit estimated cost of the uniform articles and caution money as prescribed by the State Government. Candidates belonging to ST/SC/OBC will have to deposit only the caution money.

(3) After appointment, prescribed training shall be imparted in specified training institutions and other units. Probation period could be extended if the candidate fails in prescribed written, oral and practical examination and does not attain prescribed standards laid down from time to time in pursuance of training objectives. Failure would entail even discharge from service.

15. Appointment by Promotion—

(1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates. However, if there is no member representing Scheduled castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes among the members nominated for the departmental promotion committee other than the presiding officer, than another officer of an equivalent rank will be included in the DPC and the strenght of DPC will be deemed to be extended to the required limit.

(2) The Committee shall ordinarily meet at least once an year.

(3) 16 percent and 23 percent of the available vacancies for promotion in such posts, in which the percentage of promotion is 25% or more as specified in schedule-II, shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe who are eligible for promotion in accordacne with provisions of Rule 16.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by Government in the General Administration Department from time to time.

16. Conditions of Eligiblility for Promotion—

(1) Subject to the provision of Sub-Rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the post from which promotion is to be made as specified in column (4) of schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with provision of sub-rule (2).

(2) There shall be no zone of consideration, in those cases where the promotion is to be made on the basis of seniority cum merit subject to fitness or on the basis of seniority excluding the persons found unfit. Only such number of cases of Government servants will be taken into consideration as are sufficient to fill up the vacancies occurring in each category during the next one year.

17. Preparation of List of Suitable Candidates—

(1) The departmental promotion committee shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in rule 16 above and, as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of select list. A reserve list of the 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on seniority with due regard to merit and suitability in all respects.

(3) The names of the officials included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of schedule IV at the time of preparation of such select list.

Explanation :—A person, whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of list. shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service the committee shall record its reasons for proposed supersession.

18. Select List —

(1) The appointing authority shall consider the list prepared by the Committee along with other documents received from the committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the appointing authority considers it necessary tomake any change in the list received from the committee. he shall inform the committee of the changes proposed and after taking into account the comments, if any. of the committee may approve the list finally with such modification if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the appointing authority shall, from the select l ist for promotion of the members of service from the posts mentioned in column 2 of schedule-IV to the posts mentioned in column 3 of the said schedule.

(4) The select list shall ordinarily be in force for one year or until, it is reviewed or revised in accordance with sub Rule (4) of Rule 17 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation. Provided that, in the event of grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list a special review of the select list may be made at the instance of the appointing authority and the departmental promotion committee may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

19. Appointment to the Service from the Select List—

(1) Appointment of employees included in the select list to the post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such employees appear in the select list.

Provided that, where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list may be appointed to the service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the departmental promotion committee before the appointment of a person whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. Interpretation — If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the government, whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation** —Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such a manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

22. **Repeal and saving**— All rules corresponding to these rules and in force immediately before commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules;

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
B. K. S. RAY, Additional Chief Secretary.

SCHEDULE—I
(See Rule 5)

CLASSIFICATION OF SERVICE AND PAY SCALES

S. No. (1)	Name of Post included In the service (2)	Classification of the post (3)	Scale of Pay (4)	Appointing Authority (5)
1.	Inspector/Reserve Inspector	State Police Service Class 3.	5500-175-9000	Inspector General of Police.
2.	Company Commander	State Police Service Class 3.	5500-175-9000	Inspector General of Police.
3.	Subedar	State Police Service Class 3.	5000-150-8000	Inspector General of Police.
4.	Sub Inspector (Male & Female)	State Police Service Class 3.	4500-125-7000	Deputy Inspector General of Police.
5.	Sub Inspector (Radio)	State Police Service Class 3.	4500-125-7000	Deputy Inspector General of Police.
6.	Sub Inspector (Finger Print)	State Police Service Class 3.	4500-125-7000	Deputy Inspector General of Police.
7.	Sub Inspector (Questioned-Documents)	State Police Service Class 3.	4500-125-7000	Deputy Inspector General of Police.
8.	Platoon Commander	State Police Service Class 3.	4500-125-7000	Deputy Inspector General of Police.
9.	Assistant Sub Inspector	State Police Service Class 3	4000-100-6000	Deputy Inspector General of Police.
10.	Sub Inspector (Computer)	State Police Service Class 3.	4500-125-7000	Deputy Inspector General of Police.

SCHEDULE—II
(See Rule 6)

Sl. No.	Name of Department	Names of the posts included in the service	Total number of duty posts	Percentage of posts recruited by direct recruitment	Percentage of posts by promotion of working members of service
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Home (Police) Department.	Inspector/Reserve Inspector.	-	-	100%
2.	—do—	Company Commander	-	-	100%
3.	—do—	Subedar	-	100%	—
4.	—do—	Sub Inspector (Male and Female)	-	67%	33%
5.	—do—	Sub Inspector (Radio)	-	50%	50%
6.	—do—	Sub Inspector (Finger Print)	-	67%	33%
7.	—do—	Sub Inspector (Questioned Document)	-	67%	33%
8.	—do—	Platoon Commander	-	40%	60%
9.	—do—	Assistant Sub Inspector	-	-	100%

SCHEDULE—III
(See Rule 8)

Sl. No.	Name of Service	Name of the posts included in the service	Minimum age limit	Upper age limit	Educational Qualifications prescribed	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Chhattisgarh Police Executive (Non Gazetted) Service	Subedar	18	28	Bachelors Degree or its equivalent from any recognized University.	
2.	—do—	Sub Inspector (Male & Female)	18	28	Bachelors Degree or its equivalent from any recognized University.	
3.	—do—	Sub Inspector (Special Branch)	18	28	Bachelors Degree or its equivalent from any recognized University.	
4.	—do—	Sub Inspector (Radio)	18	28	3 years Diploma course from any Institution/ University in Electronic/ Electrical/Tele communication Engineering Recognized by Govt.	
5.	—do—	Sub Inspector (Finger Prints)	18	28	Bachelor Degree with Mathematics, Physics and Chemistry or its Equivalent from any University Recognized by Govt.	
6.	—do—	Sub Inspector (Questioned Documents)	18	28	—do—	
7.	—do—	Platoon Commander	18	28	Bachelors Degree or its Equivalent from any Recognized University.	
8.	—do—	Sub Inspector (Computer)	18	28	Bachelors Degree in Computer Application (BCA)/B.Sc. (Computer) or its equivalent Degree from any Govt. or recognized Universiy.	

SCHEDULE—IV
(See Rule 15)

Sl. No.	Name of of Deptt.	Name of post from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to made	Required minimum period of service for promotion	Composition of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Home (Police) Deptt.	Sub Inspector (Male & Female)	Inspector	8 Yrs. Directly Recruited 6 Yrs. Directly recruited those who rendered 6 years continuous service in Naxalite Affected Areas. 5 Yrs. Departmental Promoted. 4 Yrs. Departmental Promoted those who rendered 4 years continuous service in Naxalite Affected Areas.	Chairman-Inspector General of Police Members - DisG (Two) (Nominated by Director General of Police).
2.	-do-	Subedar	Reserve Inspector	3 years	Three D. Is. G. Chairman - Senior most of them members- others two (Nominated by Director General of Police.)
3.	-do-	Platoon Commander	Company Commander	As mentioned above	Three D. Is. G. Chairman - Senior most of them members- others two (Nominated by Director General of Police.)
4.	-do-	Assistant Sub Inspector	Sub Inspector	3 years	Chairman-Inspector General of Police Members - DisG (Two) (Nominated by Director General of Police).
5.	-do-	Assistant Platoon Commander	Platoon Commander	3 years	Three D. Is. G. Chairman - Senior most of them members- others two (Nominated by Director General of Police.)